सम्प्रभुता के प्रकार एवं अधिवास

(Kinds of Sovereignty and Location)

विभिन्न उल्लेखों को ख्याल
संप्रभुता के प्रकार संप्रभुता के भेद नहीं। विभिन्न रूपों में किया गया है। अतः जब तक प्रभुसत्ता
में रखते हुए विभिन्न रूपों में किया गया है। अतः जब तक उसका वास्तविक
के प्रचलित प्रकार का वर्णन न किया जाए तब तक सम्प्रभुता के प्रचलित रूप इस
स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकता। अतः सम्प्रभुता के प्रचलित रूप इस
प्रकार हैं।

(I) **नाममात्र की सम्प्रभुता** (Titular Sovereignty) :- नाममात्र की
सम्प्रभुता का आशय यह है कि सिद्धांत में समस्त शक्तियाँ होती हैं लेकिन व्यवहार में
वह उसका प्रयोग नहीं करता है। उसकी शक्तियाँ सिर्फ नाममात्र के लिए हैं। उसके
नाम पर शासन होता है, परन्तु वह स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता।
उदाहरणस्वरूप इंग्लैण्ड का राजा तथा भारत का राष्ट्रपति नाममात्र (औपचारिक) संप्रभु है।
वह केवल संवैधानिक प्रधान है। यद्यपि शासन के सारे कार्य उसी के नाम पर होते हैं,
तथापि उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल करता है। संप्रभुता के
इसी रूप को नाममात्र की सम्प्रभुता कहा जाता है। नीदरलैण्ड के राजा, जापान के सम्राट,
इंग्लैण्ड का राजा एवं भारत के राष्ट्रपति नाममात्र के (औपचारिक) संप्रभु हैं। सिर्फ संसदीय
शासन प्रणाली वाले देशों में यह पद्धति लागू है।

(II) **वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता** (Legal Sovereignty) :- एक राज्य के
अन्तर्गत कानूनों का निर्माण करने और उसका पालन करने की सर्वोच्च शक्ति
जिस सत्ता के पास होती है, उसे वैधानिक अथवा कानूनी सम्प्रभु कहा जाता
है। वैधानिक संप्रभु वह है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है, जिसे कानून अथवा
विधि बनाने तथा बिगाड़ने का पूर्ण अधिकार हो। वैध सम्प्रभु किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय,
नैतिक तथा प्राकृतिक नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कानूनी संप्रभु वकीलों
तथा न्यायालय का संप्रभु है। न्यायालय केवल वैध सम्प्रभु की आज्ञाओं का पालन
करते हैं। भारत और अमेरिका जैसे संघ राज्यों में यदि कानूनी संप्रभुता संविधान में
निहित है, तो ब्रिटेन जैसे संसदीय, प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली में, जहाँ लिखित
संविधान नहीं है, यह संप्रभु संसद में ही निहित है। ब्रिटिश संसद के कानून निर्माण
की शक्ति इतनी असीमित है कि वह किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार का कानून
बना सकती है। डायसी (Dicey) ने लिखा है कि ब्रिटिश संसद कानून के दृष्टि
कोण से इतनी शक्तिशाली है कि वह शिशु को वयस्क बना सकती है, मृत्यु के बाद
भी किसी व्यक्ति को राजद्रोही घोषित कर सकती है, किसी नाजायज बच्चे को जायज ठहरा
सकती है अथवा उचित समझे तो किसी व्यक्ति को स्वयं उसी के मुकदमे में न्यायाधीश
नियुक्त कर सकती है।"

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

डायसी ने भी कहा है कि, "ब्रिटिश संसद केवल उन्हीं कार्यों को छोड़ देती है जो स्वयं प्रकृति द्वारा असंभव है, अन्यथा सभी कार्य उसकी कानूनी सर्वोच्चता के अधीन है। वह केवल मर्द को औरत और औरत को मर्द नहीं बना सकती, शेष सभी काम कर सकती है।"

(iii) राजनीतिक सम्प्रभुता (Political Sovereignty) :— संसद के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए संसद जनता के इच्छा के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती है। कानूनी सत्ता को प्रभावित करने वाली शक्तियों को ही राजनीतिक संप्रभु कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि राजनीतिक दृष्टि से सम्प्रभुता उस समूह - जनता - में निहित है जो कानूनी सम्प्रभु का मालिक है और जिसके समर्थन से ही कानूनी सम्प्रभुता को उसका स्थान तथा शक्ति प्राप्त होती है। डायसी के अनुसार "जिस संप्रभु को वकील लोग स्वीकार करते हैं उसके पीछे एक दूसरा संप्रभु होता है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभु को सिर झुकाना पड़ता है।" इसी दूसरे संप्रभु को राजनीतिक संप्रभु कहा है। राजनीतिक सम्प्रभुता हमेशा निश्चित और स्पष्ट नहीं होता। कहीं पर वह एक मंत्री हो सकता है, कहीं पर एक सम्राट, कहीं पर सेनापति और कहीं पर मतदाता। कभी-कभी लोकमत तथा निर्वाचकों की इच्छा को राजनैतिक संप्रभु के नाम से पुकारा जाता है और उसमें जो शक्ति होती है उसे राजनैतिक सम्प्रभुता कहा जाता है। लीकॉक का कहना है कि "राजनीतिक प्रभुसत्ता की जितनी खोज की जाए उतनी ही वह दूर भागती दिखाई देती है।"

प्रत्यक्ष लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में वैधानिक और राजनीतिक प्रभुता में कोई अन्तर नहीं होता, क्योंकि विधि निर्माण प्रक्रिया में भी जनता की प्रत्यक्ष भूमिका रहती है, किन्तु प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि विधि निर्माता के रूप में कार्य करते हैं। अतः वह प्रतिनिध्यात्मक विधायिका वैधानिक संप्रभु होती है तथा उस पर नियंत्रण रखनेवाली जनता (मतदाता) राजनीतिक संप्रभु कहलाते हैं।

(iv) लोक / जन सम्प्रभुता (Popular Sovereignty) :— लोक प्रभुसत्ता का अर्थ है - जनता की प्रभुसत्ता। प्रजातंत्रीय राज्यों में प्रभुसत्ता अन्ततोगत्वा जनता में ही निहित होती है और जनता को ही सर्वोपरि माना जाता है। 'जनता' शब्द अस्पष्ट है अतः लोक सम्प्रभुता मतदाताओं या निर्वाचकों में सन्निहित होती है। लोक सम्प्रभुता का प्रतिपादक मारसीलियो तथा विलियम है। जिन्होंने 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में राजाओं के दैवी अधिकारों के विरोध में हुआ था। रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा (General Will) के सिद्धान्त द्वारा लोकप्रिय सम्प्रभुता का जोरदार समर्थन किया जिसके फलस्वरूप फ्रांस में क्रांति की आग भड़की। फ्रांसीसी क्रांति ने अमेरिकी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को समुचित स्थान मिला। आज इसका महत्व बढ़ गया है। ब्राइस ने कहा है कि "लोकप्रिय सम्प्रभुता लोकतंत्र का आधार और मूल मंत्र है।"

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

(v) वैधानिक और वास्तविक / यथार्थ सम्प्रभुता (De Jure and De facto Sovereignty) :- एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को शासन करने का अधिकार दिया जाता है, उसे वैधानिक संप्रभु कहा जाता है, परन्तु उस देश में वास्तविक रूप में जो शासन करता है, उसे वास्तविक संप्रभु कहा जाता है। जिसकी सत्ता संविधान की दृष्टि से नियमित और न्यायपूर्ण (de jure) हो। इसके विपरीत यदि उसकी सत्ता केवल शक्ति पर आधारित है तो उसे हम यथार्थ सत्ताधारी (de facto) कहा जाता हो अन्तर के दृष्टिकोण से वैधानिक सम्प्रभुता का आधार कानून है, परन्तु वास्तविक सम्प्रभुता का आधार भौतिक शक्ति (Physical force) दूसरे और वैधानिक सम्प्रभुता की सत्ता औचित्यपूर्ण और जायज वहीं वास्तविक सम्प्रभुता की सत्ता औचित्य विहीन और नाजायज होती है।

सम्प्रभुता का अधिवास (वासस्थान) :- Location of Sovereignty :-

सम्प्रभुता के निवास का मतलब यह है कि सम्प्रभुता राज्य में कहाँ रहती है अथवा सम्प्रभुता का अधिवास कहाँ है? यह एक विवादास्पद एवं जटिल प्रश्न है, जिसका उत्तर आसानी से नहीं दिया जा सकता। उदाहरणस्वरूप यदि यह खोजना हो कि भारत की सम्प्रभुता का निवास कहाँ पर है तो उसको ढूंढ निकालना आसान नहीं है। राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी है, परन्तु उसे महा-नियोग द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। प्रधानमंत्री संसद का नेता होता है, किन्तु संसद किसी भी समय अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है। संसद विधियाँ बनाती है, और संविधान में मनचाहा संशोधन कर सकती है, किन्तु न्यायालय संविधान के विरुद्ध विधियों को अवैध घोषित कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सम्प्रभु नहीं है, उन्हें भी संसद कतिपय परिस्थितियों में हटा सकती है। तो फिर क्या सम्प्रभुता का वास स्थान जनता में है? जनता से अभिप्राय 'पूरी जनता' से है अथवा केवल निर्वाचन में भाग लेनेवाले लोगों से। क्या जनता की भीड़ को सम्प्रभु कहा जा सकता है।

विभिन्न मत (Different view) :- विभिन्न विद्वानों ने सम्प्रभुता के निवास के संबंध में भिन्न-भिन्न तर्क प्रस्तुत किये हैं जो इस प्रकार हैं :-

वेन्थम (Bentham) के अनुसार :- प्रभुसत्ता विधानांग में निहित होती है।

जेनिंग्स के मतानुसार :- सम्प्रभुता संविधान निर्मात्री सभा में निहित होती है।

सिसरो के अनुसार :- प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। 16वीं शताब्दी में राजतंत्र के युग में यह माना जाता था कि प्रभुसत्ता राजा में निहित होती है।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

संघीय शासन प्रणाली में प्रभुसत्ता का वास दो पृथक स्थानों - केन्द्र एवं राज्यों में माना (4)
जाता है। कतिपय विचारकों के अनुसार सम्प्रभुता का निवास उस जनसमूह एवं संस्था में होता है जिसके पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति होती है।

हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे प्रत्येक व्यक्ति से समझौता कर अपने प्राकृतिक अधिकारों को एक सम्प्रभु व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा को सौंप देता है, तदुपरान्त राष्ट्रमंडल या राज्य की स्थापना होती है। यह व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा, जिसे समस्त व्यक्ति अपने अधिकार देते हैं, सम्प्रभु कहलाएगी।

रूसो ने सम्प्रभुता का निवास 'सामान्य इच्छा' में माना है।

हीगल ने सम्प्रभुता का निवास 'राज्य' में मानता है।

आस्टिन के अनुसार राज्य के अंतर्गत किसी निश्चित व्यक्ति में निवास करती है।

सम्प्रभुता के अधिवास के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचारों का प्रतिपादन किया गया है।

(1) सम्प्रभुता का निवास राजा में है :- जिस समय राजतंत्र था तो यह माना जाता था कि सम्प्रभुता राजा में निहित होती है। फ्रांस का शासक लुई चौदहवां तो कहा करता था कि "मैं ही राज्य हूँ।" वर्तमान में कहीं लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है, कहीं संसदात्मक शासन पद्धति कार्यरत है तो कहीं संघात्मक व्यवस्था। ऐसी स्थिति में यह कहना कठिन प्रतीत होता है कि प्रभुसत्ता राजा जैसे सर्वस्वीकृत किसी एक व्यक्ति में है।

(2) सम्प्रभुता जनता में निहित है :- रोमन विचारक सिसरो के अनुसार सम्प्रभुता जनता में निहित है। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में यूरोप में जन आन्दोलन प्रारंभ हुआ तथा उस समय लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने कहा कि शासन जन स्वीकृति पर आधारित होता है और प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। वर्तमान में भी यह विचार लोकप्रिय हो किन्तु व्यवहार में यह सिद्धांत असंगत प्रतीत होता है क्योंकि (i) असंगठित जनसमुदाय को सम्प्रभु नहीं माना जा सकता, जनता असंगठित होती है। (ii) निर्वाचन में भाग लेनेवाले लोग संख्या में बहुत ही कम होते हैं अतः सम्पूर्ण जनता की प्रभुसत्ता उनमें कैसे निहित मानी जा सकती है।

(3) सम्प्रभुता का वास संविधान सभा में है :- जेनिंग्स के मतानुसार सम्प्रभुता संविधान निर्मात्री सभा में निहित होती है। इस मत के अनुसार देश के सर्वोच्च कानून (संविधान) का निर्माण करनेवाली सभा को संप्रभु कहा जा सकता है। भारत के एक न्यायमूर्ति के० सुब्बाराव ने यह मत प्रकट किया था कि संविधान सभा ही सम्प्रभु होती है, किन्तु प्रभुसत्ता का एक मुख्य लक्षण उसका स्थायित्व है, जबकि लगभग सभी राज्यों में संविधान निर्मात्री सभा स्थायी नहीं होती।

(4) सम्प्रभुता का अधिवास विधायिका में है :- कुछ विद्वानों का

राय है कि सम्प्रभुता का निवास राज्य की व्यवस्थापिका या संसद में होता है। उनका विचार है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका तो व्यवस्थापिका की इच्छा का ही पालन करती है, परन्तु व्यवहार में यह देखा गया है कि व्यवस्थापिका ही एकमात्र विधि-निर्माता निकाय नहीं होती। इनकी शक्तियों पर भी कई सीमाएँ होती हैं। व्यवहार में व्यवस्थापिका की शक्तियाँ लोकमत, निर्वाचन, परम्पराएँ, धार्मिक नियम आदि अनेक बातों पर सीमित होती हैं।

(5) विधि निर्माण करनेवाली समस्त संस्थाओं में सम्प्रभुता :— गैटेल का कथन है कि सम्प्रभुता विधानांग, न्यायालयों, संविधान निर्मात्री परिषदों की आज्ञाओं तथा मतदाताओं में निहित होती है। ये समस्त संस्थाएँ विधि निर्माण में सहयोग करती हैं, अतः प्रभुसत्ता राज्य के समस्त विधानांग में होती है।

निष्कर्ष :- निष्कर्षतः अगर यह कहा जाय कि समाज अथवा राज्य के वास्तविक 'प्रभु' अज्ञात है, जैसा कि ग्रे ने लिखा है कि "समाज के वास्तविक प्रभुओं की खोज नहीं की जा सकती है।" व्यवहार में प्रभुसत्ता की स्थिति की खोज करना अव्यावहारिक है। प्रभुसत्ता राज्य का एक तत्व है, सरकार का नहीं। अतएव यह अमूर्त है और इसे खोजने का प्रयास व्यर्थ है। लीकॉक ने कहा है कि 'सम्प्रभुता की जितनी खोज की जाए उतनी ही वह दूर भागती दिखाई देती है।

प्रभुसत्ता अमूर्त है, प्रभुसत्ता को कभी देखा नहीं जा सकता, उसका प्रयोग होता है, उसका केवल अनुमान लगाया जाता है। सम्प्रभुता अदृश्य है, समाज के वास्तविक प्रभुओं को कभी देखा नहीं जा सकता और न ही राज्य में कोई यह घोषित कर सकता है कि "उसमें सम्प्रभुता निहित है।"

राजनीतिक दृष्टि से जो प्रभु होता है, उसे कानूनी दृष्टि से प्रभु नहीं माना जाता। कभी-कभी विधितः प्रभु कोई और ही होता है और यथार्थ में प्रभुशक्ति किसी अन्य के पास होती है। साम्यवादी देशों में प्रभुता का पता लगाना और भी कठिन होता है। वहाँ सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, साम्यवादी दल आदि में प्रभुशक्ति का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। कुछ लोगों का मत है कि लोकतंत्रात्मक देशों में प्रभुता का वास जनता में होता है या संविधान में। संविधान को भी संसद बदल सकती है। अतः निष्कर्षतः प्रभुसत्ता अमूर्त तथा अज्ञात है, जिसे संकल्पना कहा जा सकता है। (समाप्त)

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान
डी॰ के॰ कालेज, डुमराँव
दिनांक- 04/05/2020

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA